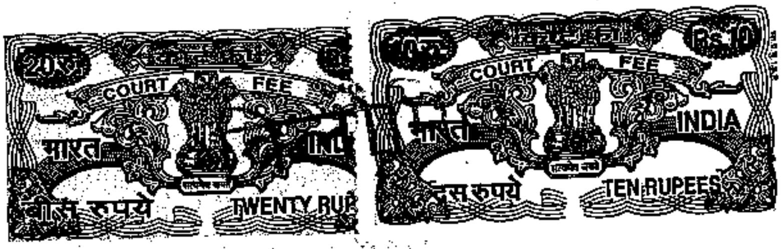

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

नि0- 1273 II-16

श्रीमती रजनी ... द्वारा आज दि. 21/4/16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

श्रीमति शिवली मुंडा पत्नि प्रणव मंडल ,

निबासी ग्राम नुना, निर्वाचित सरपंच ग्राम पंचायत नुना ,

जनपद पंचायत पलेरा जिला टीकमगढ़, ...अपीलांट

वनाम

मु0 तारा पत्नि पूरनलाल आदिबासी ,

निबासी ग्राम तगैड़ी , जनपद पंचायत एवं तहसील पलेरा,

जिला टीकमगढ़, ... प्रतिअपीलार्थीगण

(2) आर. पी. तिवारी, P.O. जनपद पंचायत पलेरा, जिला टीकमगढ़.

अपील अंतर्गत धारा 36(4) सह धारा 91 म0 प्र0 पंचायत राज अधिनियम :–

अपीलांट की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि अपीलांट द्वारा यह अपील न्यायालय कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 67/बी121/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 04/04/2016 से परिवेदित होकर कर रहा है , जो समय सीमा में है, माननीय न्यायालय को अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम पंचायत नुना में सरपंच(अनुसूचित जनजाति) के पद पर निर्वाचन होना था। जिस वावद अपीलांट के साथ साथ प्रतिअपीलांट द्वारा भी आवेदनपत्र जमा करके चुनाव में भाग लिया था। जिसमें दिनांक 05/02/2015 को मतदान होकर मतगणना के उपरांत अपीलांट को अधिक मत प्राप्त होने के कारण रिटर्निंग अधिाकरी द्वारा ग्राम पंचायत नुना के सरपंच के पद पर निर्वाचन का प्रमाणपत्र प्रदान अपीलांअ को प्रदान किया। तदुपरांत अपीलांट द्वारा अपना पद भार ग्रहण करके कार्य प्रारंभ कर दिया। जो कि आज दिनांक तक करती चली आ रही है।

3– यह कि उपरोक्त निर्वाचन से परिवेदित होकर प्रतिअपीलांट द्वारा एक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 36 का कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ को इस

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

अपील प्रकरण क्रमांक 1273/IV/2016 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश **शिवली मुंडा वनाम श्रीमति तारा व अन्य**	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-4-16	अपीलार्थी के अभिभाषक श्रीमति रजनी बशिष्ठ शर्मा उपस्थित। उन्हें प्रकरण की ग्राहयता एवं स्थगन पर तर्क सुने। अपीलार्थी द्वारा यह अपील कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 67/बी121/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 04/04/2016 से परिवेदित होकर म0प्र0 पंचायत राज अधिनियम की धारा 36(4) सहपठित धारा 91 के अंतर्गत प्रस्तुत की है। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 36(4) के अनुसार – **''उपधारा (3) के अधीन यथास्थिति कलेक्टर या आयुक्त के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे विनिश्चय की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर, कमशः आयुक्त या राजस्व मंडल को अपील कर सकेगा और ऐसी अपील में उसका आदेश अंतिम होगा।''** इस प्रकार कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्व प्रस्तुत अपील में सुनवाई वावद आयुक्त को भी अधिकार प्रदान किये गये हैं, इसलिये यह अपील मूलतः सुनवाई वावद अपर आयुक्त सागर संभाग सागर को भेजी जाबे। जहां तक स्थगन का प्रश्न है , सुविधा का संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में होने से कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक प्रकरण कमांक 67/बी121/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 04/04/2016 का कियान्वयन अपर आयुक्त के यहां से अपील के अंतिम निराकरण तक के लिये स्थगित किया जाता है। अपर आयुक्त को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण का निराकरण सभी पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करके, विधिवत रूप से संहिता में वर्णित प्रावधानों के अनुसार करें। सदस्य	